

2622
3.11.18



श्रीमति गीरा देवी प्रति श्री विजय प्रसाद
ग्राम - केरसा वाना पाटन जिला पल
केराला - 2

3.11.18
CHANDRA MOHAN PRASAD
Stamp Vendor, L.No.-2/2000
Medininagar, Palamau

विजय प्रसाद -



गीरा देवी

5/18
विजय प्रसाद
अ. नमू साप रस नमोकार सत
कुलकर्णी
सदस्य
5.11.18



5/11/18

//2//

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमति नीरा देवी (Smt. Nira Devi) पति का नाम श्री विजय प्रसाद,
कायम जाति सुढी निवास स्थान ग्राम केल्हार, पोस्ट एवं थाना पाटन,
जिला पलामू (झारखण्ड) पेशा गृहणी, नागरिकता भारतीय।

PAN - EZBPD6983D आधार नं० - 3424 7884 8322

3. लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्य:- (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मो० 14,83,000/-
(चौदह लाख तिरासी हजार) रुपये मात्र।

(ख) देय मूल्य:- मो० 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रुपये मात्र।

(ग) मौजा बारालोटा का आवासीय रेट मो० 2,11,750/- रुपये मात्र
प्रति डी० के दर से।

(5) सम्पत्ति का विवरण:- मवाजी 7 डी० (सात डिसमील) जमीन
अन्तर्गत मौजा बारालोटा, अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू।
इलाके एवं जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू
हकियत लेख्यकारी को खरीदगी रैयती जमीन हासिल है। इस दस्तावेज
के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को
लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो
अंश है:-

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	हो० नं०	सर्वे नं०
बारालोटा	198	58/2	1/28	4644	102

खाता नं०	प्लॉट नं०	बिक्री रकवा डी० में
32 (बतीस)	21 (इक्कीस)	02 (दो) डिसमील
32 (बतीस)	23 (तेईस)	02 (दो) डिसमील
32 (बतीस)	55 (पचपन)	03 (तीन) डिसमील
कुल - 1	कुल - 3	कुल - 07 (सात) डिसमील जमीन

नीरा देवी
श्रीमति

विजय प्रसाद
5.11.18

विजय प्रसाद
पिन - 835 001
मौजिले - बारालोटा
पोस्ट थाना - मेदिनीनगर जिला पलामू

5.11.18

//3//

चौहदी:-

उत्तर :- मनोज सिंह
दक्षिण :- वर्तमान क्रेता कुमारी पूजा
पूरब :- पूर्व से बीस फीट चौडा रोड
पश्चिम :- आनन्द एवं अनील प्रसाद

बिक्री की जाने वाली भूमि का माप निम्नवत् है -

उत्तर तरफ :- पूरब से पश्चिम का माप 54 फीट 4 ईंच
दक्षिण तरफ :- पूरब से पश्चिम का माप 55 फीट 0 ईंच
बीच में :- पूरब से पश्चिम का माप 55 फीट 3 ईंच
पूरब तरफ :- उत्तर से दक्षिण का माप 55 फीट 10 ईंच
पश्चिम तरफ :- उत्तर से दक्षिण का माप 55 फीट 10 ईंच

वार्षिक लगान अनुमानित:- मो0 7/- रूपये अलावे सेस।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी ने स्वयं से दिनांक 09.10.2013 ईस्वी को श्री विनय कुमार सिंह पिता स्व0 बैजनाथ सिंह, जाति राजपुत, मुहल्ला हम्मीदगंज, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू के निवासी से क्रय कर प्राप्त किये हैं। जिसका केवाला नं0 9028 बुक नं0 1 भौ0 नं0 306 पेज नं0 245 से 280 तक है, जो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में दिनांक 09.10.2013 को निबंधित हुआ है। नामांतरण होकर डिमाण्ड होल्डिंग नं0 4644 पर चलता है। उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारी का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर लेख्यकारी के अतिरिक्त

जिस देवी

विनय कुमार

5.11.18

21/11/18

अध्यक्ष

पिता - विनय

पति - श्रीमान

पत्नी - सलमा देवी

पता - 2681019054

//4//

किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारी को रूपये की सख्त जरूरत अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबंध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए संभव प्रतित नहीं हुआ। एतएव इस संबंध में लेख्यकारी ने अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित जमीन को बिक्री कर दिया जाय, इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने आवश्यक कार्य को पुरा किया जाए।

लेख्यकारी उपर वर्णित जमीन की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकन किये परन्तु अंत में लेख्यधारिणी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भाँति निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम देय मूल्य मो० 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही अपने नाम से हमेशा के लिए खरीदना भी स्वीकार किये। लेख्यकारी ने भी इस मूल्यांकन को प्रत्येक बिन्दु से उचित और अधिकतम मूल्य देखकर बिक्री का सौदा क्रेता के साथ पक्का कर दिया।

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि लेख्यधारिणी ने लेख्यकारी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा पाटन के चेक नं० 254456 दिनांक 18.10.2018 द्वारा मो० 1,00,000/- (एक लाख) रूपये, दूसरा इसी बैंक के चेक नं०

बिक्री
दिनांक

दिनांक 18.10.2018

5.11.18

//5//

254457 दिनांक 24.10.2018 द्वारा मो0 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये, तीसरा इसी बैंक के चेक नं0 254458 दिनांक 25.10.2018 द्वारा मो0 6,00,000/- (छः लाख) रूपये, चौथा इसी बैंक के चेक नं0 254460 दिनांक 02.11.2018 द्वारा मो0 3,00,000/- (तीन लाख) रूपये इस तरह चारों चेकों द्वारा कुल मो0 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये का भुगतान विनय प्रसाद के नाम से कर दिया है। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारी को लेख्यधारिणी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारी ने उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारिणी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिये। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पति के सम्बन्ध लेख्यकारी को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यधारिणी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार घर का निर्माण करा कर अपने परिवार सहित निवास करें, चाहरदिवारी के अन्दर लावें या किराये पर लगावें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारी एवं इनके उत्तराधिकारियों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारिणी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस मेदिनीनगर पलामू के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

विनय प्रसाद

विनय प्रसाद

5-11-18

//6//

मैंने लेख्यधारिणी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारी के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारी करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर एवं पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक

लव

बिना खरी
5.11.18
दिनांक- 5.11.18

जिरी देवी

5-11-18



दस्तावेज विपिन नं. 111/03
मेदिनीनगर, पलामू



जिरी देवी

5-11-18

मैं जिसत मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03 खान
मेदिनीनगर, समाप्त करता हूँ कि दस्तावेज में जिस-
जिस व्यक्ति का दायारा-चित्र लगा है का वामे हाथ
के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिखा
गया है ता: 5-11-18

जिरी देवी

मजसुनकी → जिसत मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03
खान मेदिनीनगर, बेवाला पढ़ कर दोनों पक्षों को सूना-
समझा दिया सही पा कर अपना-अपना हस्ताक्षर
करा दिया ता: 5-11-18